

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला (बून्दी)

पीलरहीन अधिकारी श्रीमती मनस्वी नरेश R.A.S

मिसल नं०

322/प्र०पत्र/2025

तारीख दाखरा

03.02.2025

तारीख फैसला

17.03.2026

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी

रामदेव पुत्र फून्दीलाल जाति खटीक निवासी बरुन्धन

बनाम

प्राथी

उपस्थित अधिवक्ता

अभिभाषक प्राथी - रोहंकार रावकार

अभिभाषक अप्राथी-

अप्राथी

.. निर्णय ..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्राथी तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम लीलेडा चारणान पटवार मण्डल ठीकरिया चारणान तहसील तालेडा की आराजी खसरा संख्या 453/248 रकबा 0.1619 हैक्टे० किस्म बाराजी 3 भूमि खातेदार रामदेव पुत्र फून्दीलाल जाति खटीक निवासी बरुन्धन तहसील तालेडा जिला बून्दी के नाम भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जिसकी जमाबन्दी संलग्न है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी इल्का ठीकरिया चारणान अप्राथी द्वारा ग्राम लीलेडा चारणान पटवार मण्डल ठीकरिया चारणान तहसील तालेडा की आराजी खसरा संख्या 453/248 रकबा 0.1619 हैक्टे० किस्म बाराजी 3 भूमि जो कि कृषि भूमि है पर अकृषि कार्य किया जा रहा है। उक्त भूमि कृषि भूमि है जबकि अप्राथी द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के तथा बिना सम्पत्तिवर्तन कराये उक्त भूमि को अकृषि उपयोग (बजा) संचालित किया जा रहा है, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के विरुद्ध है। उक्त भूमि का बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के तथा बिना सम्पत्तिवर्तन कराये कृषि से भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग करने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का प्रकरण बमता है। अप्राथी के उक्त कृत्य से राज्य सरकार को अपूर्णनीय नति होगी जिससे पूर्ण ह्य में सम्भव नहीं है। राज्य सरकार की ओर से जयें तहसीलदार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के कारण न्यायालय फीस से मुक्त है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि खातेदार काश्तकार द्वारा कार्य व शर्तें भंग करने के कारण ग्राम लीलेडा चारणान पटवार मण्डल ठीकरिया चारणान तहसील तालेडा की आराजी खसरा संख्या 453/248 रकबा 0.1619 हैक्टे० किस्म बाराजी 3 भूमि सिवायबक सरकार घोषित किया जावे तथा वेदखली के आदेश जारी किये जाकर कब्जा राज लेने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र प्राथी दर्ज रजिस्टर कर अप्राथी को जयें नोटिस तलब किया गया।

अप्राथी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर अप्राथी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस पेटेकार सरकार एकपक्षीय सूजी गई। दौखने बहस पेटेकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्राथी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर अकृषि कार्य किया जाकर कार्य व शर्तें भंग करने के कारण ग्राम लीलेडा चारणान पटवार मण्डल ठीकरिया चारणान तहसील तालेडा की आराजी खसरा संख्या 453/248 रकबा 0.1619 हैक्टे० किस्म बाराजी 3 भूमि सिवायबक सरकार घोषित किया जावे तथा वेदखली के आदेश जारी किये जाकर कब्जा राज लेने के आदेश फरमाने की कृपा करे।


५५२

बहस उभयपक्ष सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अग्रलोकन करने पर हम इस विषय पर पहुंचे है कि अप्रार्थी द्वारा वाद वर्णित आराजी खसरा संख्या 453/248 रकबा 0.1619 हेक्टे0 किस्म बाराणी 3 ग्राम लीलेडा चारणान पटवार मण्डल टीकरिया चारणान तहसील तालेडा पर बिना किसी सक्षम स्वीकृति के अकृषि कार्य कर खातेदार कृषक ने कृषि जोत पर अहितकर कार्य एवं शर्त भंग का दोषी होना माना गया है किन्तु तहसीलदार तालेडा द्वारा उक्त कृषि जोत में कितने हिस्से पर किस प्रकार का अकृषि कार्य किया गया उक्त अकृषि कार्य हेतु स्थायी रूप से निर्माण कर अकृषि कार्य किया गया अथवा अस्थायी निर्माण किया गया है। साथ ही उक्त निर्माण कितने भूभाग पर व किस प्रकृति का है के सम्बन्ध में नाप चोक व अन्य विवरण प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया है ना ही प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व कृषि भूमि पर अकृषि कार्य करने पर किन नियमों के तहत क्या कार्यवाही की गई का विवरण अथवा दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हैं, ना ही तहसीलदार तालेडा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व भू-स्वामी की हिरायत से कृत कार्यवाही का विवरण संलग्न किया गया है अपूर्ण कार्यवाही के मध्यमजर न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का अन्तिम निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपूर्ण दस्तावेज एवं स्पष्ट रिपोर्ट के अभाव में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तहसीलदार तालेडा को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार स्वयं के स्तर की वांछनीय कार्यवाही की जाकर पूर्ण दस्तावेजों व स्पष्ट रिपोर्ट के साथ न्यायालय में पुनः प्रार्थना पत्र पेश किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 17.03.2026 को मेरे द्वारा अंकित कराया जाकर सारे इजलास सुनाया गया।


(ममत्ती नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा